पत्रांक–09 / दा0खा0 (मास्टर परिपत्र)–XII–81 / 2025(खंड)–2943 (9) / रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी अंचल अधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 28/10/2026

विषयः– बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 के संदर्भ में "सक्षम न्यायालय" एवं "लंबित" (Lis Pendens) मामलों के संबंध में मार्गदर्शन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विभाग के संज्ञान में यह तथ्य है कि बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–6 (12) में प्रयुक्त शब्द "लंबित" एवं विभिन्न राजस्व मामलों में "सक्षम न्यायालय" शब्द की विभिन्न अंचलों में अलग–अलग व्याख्या किये जाने के कारण वादों के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है एवं संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। अतएव, सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित मार्गदर्शन निर्गत किया जाता है :–

1. दिवानी अदालत, जो Civil Procedure Code, 1908 से चलता है, में भी "लंबित" (Lis Pendens) की कोई परिभाषा उपलब्ध नहीं है। साथ ही, General Clauses Act, 1897 में भी "लंबित" शब्द परिभाषित नहीं है।

2. उपरोक्त के आलोक में "सक्षम न्यायालय" एवं "लंबित" के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि–

(i) बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–6 (12) में अंकित "सक्षम न्यायालय" से अभिप्रेत दिवानी / व्यवहार न्यायालय (Civil Court) / पटना उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालय है।

(ii) लंबित का अभिप्रेत–(i) Admission एवं नोटिस (ii) स्थगन आदेश (Temporary Injunction or Permanent Injunction) (iii) यथास्थिति (Status Quo) होगा।

(iii) "सक्षम न्यायालय में लंबित" का अभिप्राय उपरोक्त कंडिका–2(i) एवं 2(ii) में उल्लेखित न्यायिक प्राधिकार के समक्ष विधिवत दायर एवं प्रक्रियाधीन वाद से होगा। केवल आवेदन, आपत्ति या अभ्यावेदन के किसी न्यायालय में लंबित होना "सक्षम न्यायालय में लंबित" नहीं माना जायेगा।

(iv) सक्षम न्यायालय में दायर वाद की अभिप्रमाणित प्रति जिसमें स्पष्ट रूप से यदि स्वीकारण (Admission) अंकित नहीं हो, "लंबित" नहीं माना जाय।

अतः उपरोक्त दिशा–निदेशों के आलोक में "सक्षम न्यायालय में लंबित" शब्द की व्याख्या करते हुए सभी अंचल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे की दाखिल–खारिज वादों एवं अन्य राजस्व मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाय।

एतद् संबंधी पूर्व निर्गत विभागीय पत्रांक–237(9), दिनांक–02.02.2026 एवं पत्रांक–2565(9), दिनांक–11.09.2026 को निरस्त किया जाता है।

विश्वासभाजन

28/10/26

(जय सिंह)
सचिव।

ई–मेल

ज्ञापांक–09 / दा0खा0 (मास्टर परिपत्र)–XII–81 / 2025(खंड)–2943 (9) / रा0, पटना–15, दिनांक–28/10/2026

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी समाहर्त्ता / सभी अपर समाहर्त्ता / सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जय सिंह) 27/10/26
सचिव।

ज्ञापांक–09 / दा0खा0 (मास्टर परिपत्र)–XII–81 / 2025(खंड)–2943 (9) / रा0, पटना–15, दिनांक–28/10/2026

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

(जय सिंह), 27/10/26
सचिव।

ज्ञापांक–09 / दा0खा0 (मास्टर परिपत्र)–XII–81 / 2025(खंड)–2943 (9) / रा0, पटना–15, दिनांक–28/10/2026

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / सचिव के आशुलिपिक / विभागीय आई0टी0 प्रबंधक, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जय सिंह), 27/10/26
सचिव।